कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2016/1474

दिनांकः– 23-11-

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 2016/3 वीं बैठक दिनांक 16.11.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, इसमें जोन पूर्व के एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	01	राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 79/53 के अनुमोदन ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :– चूंकि 60 फीट सड़क का अंकन पुर्व में ही ले–आउट प्लान में किया जा चुका है एवं पूर्व में 65 : 35 प्रतिशत से योजना अनुमोदित है यदि प्रश्नगत 60 फीट रोड़ को विलोपित किया जाता है तो यह प्रतिशत 65 से भी अधिक हो जाएगा। अतः उक्त सड़क को विलोपित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी को तदानुसार सूचित किया जाये।
2.	02	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 79 के अनुमोदन ले–आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 2,3 व 4 ए (मूल भूखण्ड संख्या 4 का पश्चिमी भाग) के सयुंक्तिकरण बाबत्	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया की प्रकरण ले आउट प्लान समिति के क्षेत्राधिकार का नहीं है अतः इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी अपने स्तर पर निस्तारित करे।
3.	03	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 55/7 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन पूर्व प्रश्नगत भूखण्ड के संम्बन्ध में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तत्पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
4.	04	राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 25, 25/1 व राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 27 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पूर्व अनुमोदित प्लान में पार्क दर्शित है जिसे संशोधन के माध्यम से विलोपित कर आवासीय का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव उचित नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित प्लान को यथावत रखा जावे।
5.	05	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 125 के अनुमोदन ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 107 से 131 के मध्य रोड की चौडाई बाबत प्रकरण राज्य सरकार को दिशा निर्देश हेतु प्रेषित किया जावे।
6.	06	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 76, 66/5/1 व 66/6 के अनुमोदन व ले–आउट प्लान समिति की बैठक 22.01.2016 के प्रस्ताव संख्या 31 व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 08.09.2016 के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(43)नविवि/3/2009पार्ट जयपुर दिनांक 12.08.2015 के अनुसार 4 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 20 हेक्टयर से कम क्षेत्रफल की भूमि हेतु 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार आवश्यक है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में 40 फीट सडक पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है तथापि भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 22.01.2016 के प्रस्ताव संख्या 31 में 40 फीट पहुंच मार्ग पर भी रिसोर्ट हेतु अनुमोदन किया गया जो कि गलत है। अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 20.1.2016 में लिये गये उक्त निर्णय को प्रत्याहारित किया जा कर प्रकरण को न्युनतम पहुँच मार्ग के अभाव में निरस्त किया गया। 2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य सरकार को भी अवगत कराया जावे कि प्रकरण बीपीसी (एल पी) द्वारा निरस्त कर दिया गया है अतः अब कोई स्वीकृति की आवश्यकता नही है। 3. प्रार्थी द्वारा आयुक्त महोदय को आज एक पत्र दिया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि सडक चौडाई हेतु आवश्यक भूमि समर्पित करने को तैयार है। अतः प्रार्थी को लिखा जावे कि

			नियमानुसार 80 फीट पहुंच मार्ग की आवश्यकता है। जिस हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क व बिना शर्तो के जोधपुर विकास प्राधिकरण को समर्पित करे व उपायुक्त जोन पूर्व इसका कब्जा ले। इस कार्यवाही के पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।
7.	07	श्री करण सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 50 /5 के रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का प्रस्ताव समिति द्वारा अस्वीकार किया गया। 2. प्रकरण के अंतर्गत राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 50 /5 के रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि व खसरा संख्या 50/2, 50/3, 50/4 के रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा 0 बिस्वांसी भूमि हेतु पृथक –पृथक ले–आउट प्लान, जोन स्तरीय ले–आउट प्लान की बैठक दिनांक 28.02.2014 को अनुमोदित है एवं दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है।क्योकि दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है एवं इससे स्पष्ट होता है कि दोनो योजना एक ही है एवं टाउनशिप पॉलिसी मूल भावना के विरूद्ध है। अतः आवेदक से स्पष्टीकरण सहित इकजाई मानचित्र प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
8.	08	श्री करण सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 54/2 /1, 54/2/3 के रकबा 11 बीघ 18 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का प्रस्ताव समिति द्वारा अस्वीकार किया गया। 2. प्रकरण के अंतर्गत राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 54/2 /1, 54/2/3 के रकबा 11 बीघ 18 बिस्वा भूमि व खसरा संख्या 54/2/2 के रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि हेतु पृथक –पृथक ले–आउट प्लान, जोन स्तरीय ले–आउट प्लान की बैठक दिनांक 28. 02.2014 को अनुमोदित है एवं दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है। क्योकि दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है एवं इससे स्परस्ट होता है कि दोनो योजना एक ही है एवं टाउनशिप पॉलिसी मूल भावना के विरूद्ध है। अतः आवेदक से स्पष्टीकरण सहित इकजाई मानचित्र प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
9.	09	श्री करण सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 54/2/2 के रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का प्रस्ताव समिति द्वारा अस्वीकार किया गया। 2. प्रकरण के अंतर्गत राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 54/2 /1, 54/2/3 के रकबा 11 बीघ 18 बिस्वा भूमि व खसरा संख्या 54/2/2 के रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि हेतु पृथक –पृथक ले–आउट प्लान, जोन स्तरीय ले–आउट प्लान की बैठक दिनांक 28. 02.2014 को अनुमोदित है एवं दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है। क्योकि दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है एवं इससे स्परस्ट होता है कि दोनो योजना एक ही है एवं टाउनशिप पॉलिसी मूल भावना के विरूद्ध है। अतः आवेदक से स्पष्टीकरण सहित इकजाई मानचित्र प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
10	10	श्री करण सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 50/2, 50/3, 50/4 के रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा 0 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का प्रस्ताव समिति द्वारा अस्वीकार किया गया। 2. प्रकरण के अंतर्गत राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 50 /5 के रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि व खसरा संख्या 50/2, 50/3, 50/4 के रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा 0 बिस्वांसी भूमि

		अनुमोदन बाबत्।	हेतु पृथक –पृथक ले–आउट प्लान, जोन स्तरीय ले–आउट प्लान की बैठक दिनांक 28.02.2014 को अनुमोदित है एवं दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है।क्योकि दोनो प्रकरण समीप के है व दोनो ले–आउट में भूखण्ड संख्या निरन्तर दर्शायी गयी है एवं इससे स्पष्ट होता है कि दोनो योजना एक ही है एवं टाउनशिप पॉलिसी मूल भावना के विरूद्ध है। अतः आवेदक से स्पष्टीकरण सहित इकजाई मानचित्र प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
11.	11	श्री बाबूलाल पुत्र श्री कालूराम, निवासी– ग्राम झालामण्ड, जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 406, 406/2 के रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :– प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू उपयोग वर्तमान मास्टर प्लान के प्रस्तावित उपयोग से भिन्न होने के कारण निरस्त किया जावे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(ज्ञानेश्वर व्यास)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
उपायुक्त पूर्व
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(हनुमानमल ढाका)
का. सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(के.सी.मीना)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 2016/3 वीं बैठक दिनांक 16.11.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1. आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — अध्यक्ष
2. सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
4. उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
5. निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव 22/11/16
भवन मानचित्र समिति (एलपी)

क्रमांक :– 1475-1480

दिनांक:– 23-11-16

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी) 23/11/16